3.7.19
पुनश्च्

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि विपक्षी उक्त विवादित जमीन मौजा परासबन्ना जमाबंदी न0 3 दाग न0 15 रकवा 00–04–17 धूर जमीन छोड़कर अन्यत्र कही चले गये है। अतः इस वाद की कार्रवाई को समाप्त करने का अनुरोध किये है।

अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 81/रा0 दिनांक 13.02.2016 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित दाग न0 15 रकवा 00–04–17 धूर जमीन किस्म मकानमय सहन खतियन स्लीप पर दर्ज है। जिस पर आवेदक एवं विपक्षी का घर बना हुआ है। आवेदक सपरिवार अपने घर पर निवास कर रहे है, जबकि विपक्षीगण घर छोड़कर चले गये है। मौजा के 16 आना रैयतो ने भी बताया कि विपक्षीगण पूर्व में यहाॅ रहते थे, उच्छेदी वाद चलाये जाने पर वे लोग घर छोड़कर चले गये है।

उपरोक्त तमाम् स्थितियों एवं परिस्थितियों पर सम्यकरुपेन विचारोपरांत इस वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल।